UPLL010003542023

IN THE COURT OF THE DISTRICT JUDGE, LALITPUR.

Sessions Case/75/2023

STATE OF U.P. Vs. Surendr Singh Yadav @ Bhaiya Yadav

CHARGE

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्तगण सुरेन्द्र सिंह उर्फ भैया यादव पुत्र महाराज सिंह यादव, निवासी मुहल्ला घुसयाना, थाना कोतवाली ललितपुर, अनामिका राजपूत पुत्री कल्यान सिंह राजपूत, निवासी ग्राम सीरोनकला, थाना जखौरा, एवं अभियुक्त राशिद अली पुत्र रफीक अली, निवासी मसौरा बैरियर, थाना कोतवाली ललितपुर जिला ललितपुर को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

1– यह कि घटना की दिनॉक 14.09.2022 को समय 3 बजे से 5 बजे के मध्य स्थान मुहल्ला घुसयाना, थाना कोतवाली ललितपुर पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा की पुत्री का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री की हत्या कारित करने हेतु आपराधिक षडयन्त्र कारित किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 बी के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि घटना क दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री की गला दबाकर हत्या करके उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए मृतका के शव को फांसी पर लटका दिया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–27.02.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–27.02.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by Chandroday Kumar
Date: 2023.02.27 15:42:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

IN THE COURT OF THE DISTRICT JUDGE, LALITPUR.

Sessions Case/75/2023

STATE OF U.P. Vs. Surendr Singh Yadav @ Bhaiya Yadav

27.02.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्तगण तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा उन्हें उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षडयन्त्र करके वादी की पुत्री की हत्या करके साक्ष्य विलुप्त करने के उद्देश्य से उसके शव को फांसी पर लटका दिया गया। इसलिए अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302 सपठित धारा 34 , 120 बी, 201 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 302 सपठित धारा 34, 201 व 120 बी भा.द.सं. के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

दिनॉक–27.02.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।